



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)  
( सामान्य परिनियम नियम )

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 08 अप्रैल, 2021 ई०  
(चैत्र 18, 1943 शक संवत्)

#### कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 1894 / दस-लाइसेंस-33 / 2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 08 अप्रैल, 2021 ई०

#### अधिसूचना

सा०प०नि-28

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 17951 / दस-लाइसेंस-33 / एफ०एल०, माडल शाप / 2003-04 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

**उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)  
(चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2021**

1-संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(दो) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2-नियम 2 का संशोधन**—उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

## 2-परिभाषाएं—

(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) “दैनिक लाइसेंस फीस” का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है।

(ग) “विदेशी मदिरा” का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई स्प्रिट या मदिरा से है और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध या रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित हैं और इसमें भारत में किण्वित बीयर, ड्राट बीयर तथा कम तीव्रता के मादक पेय भी सम्मिलित है।

(घ) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य दिनांक एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ङ) “परिवार” का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियां और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं।

(च) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस निमयावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(छ) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।

(ज) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य किसी माडल शाप में विदेशी मदिरा, बियर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय के विक्रय के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार के लाइसेंस प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप निकायवार यथानियत किसी धनराशि से है और बार की सुविधायें प्रदान करने के लिये, समय समय पर निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस फीस इसमें सम्मिलित होगी।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

## 2-परिभाषाएं—

(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) “दैनिक लाइसेंस फीस” का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है।

(ग) “विदेशी मदिरा” का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई स्प्रिट या मदिरा से है और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध या रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित हैं और इसमें भारत में किण्वित बीयर, ड्राट बीयर तथा कम तीव्रता के मादक पेय भी सम्मिलित है।

(घ) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य दिनांक एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ङ) “परिवार” का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियां और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं।

(च) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस निमयावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(छ) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।

(ज) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य किसी माडल शाप में विदेशी मदिरा, बियर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय के विक्रय के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार के लाइसेंस प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप निकायवार यथानियत किसी धनराशि से है और बार की सुविधायें प्रदान करने के लिये, समय समय पर निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस फीस इसमें सम्मिलित होगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

(ञ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य विदेशी मदिरा एवं बियर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी लागत के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक लागत के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-10 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

(ढ) "पोर्टल" का तात्पर्य मदिरा विनिर्मित करने से लेकर उसके वितरण के अन्तिम स्तर तक की प्रक्रिया से सम्बंधित विहित प्रपत्र में सूचना अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से सृजित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है।

(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

(ञ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य विदेशी मदिरा एवं बियर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक लागत के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-10 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

(ढ) "पोर्टल" का तात्पर्य मदिरा विनिर्मित करने से लेकर उसके वितरण के अन्तिम स्तर तक की प्रक्रिया से सम्बंधित विहित प्रपत्र में सूचना अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से सृजित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है।

(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

- (त) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्धून, भारत का नागरिक हो।
- (थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई.लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
- (द) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय हेतु राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी।
- (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

## स्तम्भ-2

## एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (त) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्धून, भारत का नागरिक हो।
- (थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई.लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
- (द) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय हेतु राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी।
- (ध) "त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत विदेशी मदिरा, बियर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से प्राप्त समान राजस्व से है।
- (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

**3-नियम-12 का संशोधन**—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

12. मदिरा/बीयर का उठान—
- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा और बियर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात्

## स्तम्भ-2

## एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

12. मदिरा/बीयर का उठान—
- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा और बियर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात्

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) और राज्य के एफ0एल0-2डी से विदेशी मदिरा और बीयर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंस (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) और बीयर और कम तीव्रता के साथ मादक पेय के साथ आपूर्ति प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

(ख) लाइसेंसधारी को, उपभोगताओं की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बाजार में नकली, आपूर्ति के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार विदेशी मदिरा व बीयर का उठान करना अनिवार्य होगा। उसे निरन्तर, पोर्टल पर लिखित मॉगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी विदेशी मदिरा व बीयर की अलग अलग मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की अलग-अलग मात्रा का उठान करना अनिवार्य होगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) से विदेशी मदिरा और बीयर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंस (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) और बीयर और कम तीव्रता के साथ मादक पेय के साथ आपूर्ति प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

(ख) लाइसेंसधारी को, उपभोक्ताओं की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बाजार में नकली, आपूर्ति के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करना अनिवार्य होगा। उसे निरन्तर, पोर्टल पर लिखित मॉगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपयुक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की मात्रा में सम्मिलित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0)की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) (एल0ए0बी0) का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी।

(दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने के लिए एक शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्ब मर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।

(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

## स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

## स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।

यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो।

(घ) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला में जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जायेगा।

(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंसधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रूप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

(चार) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित कोटा अंतरण फीस, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा अनुरोध किये जाने के समय संदेय होगी।

परन्तु, यह कि इस उपबंध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अन्तरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

10-प्रपत्र एफ0एल0-4 (क) और एफ0एल0-4(क)(1) का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-4(क) और एफ0एल0-4(क)(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

वि0 म0-4 (क)

(माडल शॉप लाइसेंस के नवीकरण हेतु )

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो
---------------

दुकान का अक्षांश/देशांतर.....  
 लाइसेंस संख्या..... वर्ष.....  
 दुकान का नाम.....जिला.....माडल शाप.....  
 मोहल्ला.....  
 लाइसेंस फीस रूपया ....(अंकों में).....(शब्दों में)  
 प्रतिभूति धनराशि रू0 ....(अंकों में).....(शब्दों में)  
 भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....  
 उत्तर :.....  
 दक्षिण :.....  
 पूरब :.....  
 पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते  
 (1)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (2)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (3)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (4)..... पुत्र..... निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते  
 (1)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (2)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (3)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (4)..... पुत्र..... निवासी .....

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

वि0 म0-4 (क)

(माडल शॉप लाइसेंस के नवीकरण हेतु )

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो
---------------

दुकान का अक्षांश/देशांतर.....  
 लाइसेंस संख्या..... वर्ष.....  
 दुकान का नाम.....जिला.....माडल शाप.....  
 मोहल्ला.....  
 लाइसेंस फीस रूपया ....(अंकों में).....(शब्दों में)  
 प्रतिभूति धनराशि रू0 ....(अंकों में).....(शब्दों में)  
 भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....  
 उत्तर :.....  
 दक्षिण :.....  
 पूरब :.....  
 पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते  
 (1)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (2)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (3)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (4)..... पुत्र..... निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते  
 (1)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (2)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (3)..... पुत्र..... निवासी .....  
 (4)..... पुत्र..... निवासी .....

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना....., तहसील.....के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रशमन/निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

## सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) और परिक्षेत्र या राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंस से विदेशी मदिरा/ वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना....., तहसील.....के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रशमन/निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

## सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें अन्य देशों से आयातीत मदिरा सम्मिलित हो, की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) लाइसेंस से विदेशी मदिरा/ वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।
- 2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।



**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 3- विदेशी मदिरा/बियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
- 4- लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।
- 5- किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी।
- 6- विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।
- 7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट ([upexcise.in](http://upexcise.in)) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 3- विदेशी मदिरा/बियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
- 4- लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।
- 5- किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी।
- 6- विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।
- 7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट ([www.upexcise.in](http://www.upexcise.in)) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 9— लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:—

“झ” दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

- 10— लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11— लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई व 6 लीटर आयातित विदेशी मदिरा प्रत्येक अलग-अलग (जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित हैं) 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग, 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग, 2 लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा तथा 6 लीटर, कम तीव्रता के मादक पेय से अधिक मात्रा में फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक कि अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।
- 12— 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।
- 13— लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोटलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्ध है।
- 14— लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 9— लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथाविहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:—

दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

- 10— लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11— लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोटल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।
- 12— 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।
- 13— लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोटलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्ध है।
- 14— लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 15- परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रूप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।
- 16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।
- 17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18- विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।
- 21- विदेशी मदिरा के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।
22. अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
23. अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

दिनांक .....  
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 15- परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रूप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।
- 16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।
- 17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18- विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।
- 21- माडल शॉप के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।
22. अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
23. अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

दिनांक .....  
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

## स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

वि0 म0-4 (क)

(नवीन माडल शॉप लाइसेंस हेतु)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो
---------------

दुकान का फोटो
---------------

## स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

वि0 म0-4 (क)

(नवीन माडल शॉप लाइसेंस हेतु)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो
---------------

दुकान का फोटो
---------------

दुकान का अक्षांश/देशांतर.....

लाइसेंस संख्या.....जिला.....

दुकान का नाम.....माडल शाप.....

मोहल्ला.....

लाइसेंस फीस रूपया ....(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0 ....(अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर :.....

दक्षिण : .....

पूरब :.....

पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)..... पुत्र..... निवासी .....

(2)..... पुत्र..... निवासी .....

(3)..... पुत्र..... निवासी .....

(4)..... पुत्र..... निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1)..... पुत्र..... निवासी .....

(2)..... पुत्र..... निवासी .....

(3)..... पुत्र..... निवासी .....

(4)..... पुत्र..... निवासी .....

दुकान का अक्षांश/देशांतर.....

लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....

दुकान का नाम.....जिला.....माडल शाप.....

मोहल्ला.....

लाइसेंस फीस रूपया ....(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0 ....(अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर :.....

दक्षिण : .....

पूरब :.....

पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)..... पुत्र..... निवासी .....

(2)..... पुत्र..... निवासी .....

(3)..... पुत्र..... निवासी .....

(4)..... पुत्र..... निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1)..... पुत्र..... निवासी .....

(2)..... पुत्र..... निवासी .....

(3)..... पुत्र..... निवासी .....

(4)..... पुत्र..... निवासी .....

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना....., तहसील.....के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रशमन/निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 1- लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) और परिक्षेत्र या राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंस से विदेशी मदिरा/वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना....., तहसील.....के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रशमन/निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 1- लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें अन्य देशों से आयातीत मदिरा सम्मिलित हो, की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) लाइसेंस से विदेशी मदिरा/वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।
- 2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 3— विदेशी मदिरा/बियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
- 4— लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।
- 5— किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी।
- 6— विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।
- 7— लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट (upexcise.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8— लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 3— विदेशी मदिरा/बियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
- 4— लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।
- 5— किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी।
- 6— विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।
- 7— लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट (www.upexcise.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8— लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 9— लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:—

दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

- 10— लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11— लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई व 6 लीटर आयातित विदेशी मदिरा प्रत्येक अलग-अलग (जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित हैं) 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग, 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग, 2 लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा तथा 6 लीटर, कम तीव्रता के मादक पेय से अधिक मात्रा में फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक कि अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।
- 12— 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।
- 13— लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोटलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्ध है।
- 14— लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 9— लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथाविहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:—

दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

- 10— लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11— लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोटल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं करेगा।
- 12— 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।
- 13— लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोटलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्ध है।
- 14— लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 15— परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रूप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।
- 16— लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।
- 17— लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18— विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 19— लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 20— लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।
- 21— विदेशी मदिरा के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।
22. अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
23. अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

**सामान्य और विशेष शर्तें**

- 15— परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रूप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।
- 16— लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।
- 17— लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18— विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 19— लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 20— लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।
- 21— माडल शॉप के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।
22. अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
23. अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

पी0 गुरु प्रसाद,  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।



**OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ****No. 1894/X-License-33/2021-2022***Prayagraj, dated: April 8, 2021***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licenses for Model Shop of Foreign Liquor) Rules, 2003 published vide Excise Commissioner notification no. 17951/X-Licence-33/F.L. Model Shop/2003-2004, dated September 03, 2003 (as amended from time to time).

**THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF RETAIL LICENSES FOR MODEL SHOP OF FOREIGN LIQUOR) (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2021**

**1. Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licenses for Model Shop of Foreign Liquor) (Fourteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**2. Amendment of Rule 2**— In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licenses for Model Shop of Foreign Liquor) Rules, 2003 hereinafter referred to as the said rules, for rule-2 setout in Column I below, the rule as setout in Column II shall be substituted, namely:-

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
2-Definition-	2-Definition-
(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-	(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b) "Daily License Fee" means 1/365 <sup>th</sup> part of the fixed licence fee for the whole year;	(b) "Daily License Fee" means 1/365 <sup>th</sup> part of the fixed license fee for the whole year;
(c) " Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour as liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, wine and Liqueurs and also includes draught beer, beer brewed in India and low alcoholic beverages (LAB);	(c) " Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour as liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, wine and Liqueurs and also includes draught beer, beer brewed in India and low alcoholic beverages (LAB);
(d) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	(d) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;
(e) "family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(e) "family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(f) "Form" means the form appended to these rules;	(f) "Form" means the form appended to these rules;
(g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;	(g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;

**Column I***Existing rule*

- (h) "License fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the license as body wise for exclusive privilege for selling of foreign liquor, beer, Wine and low alcoholic brewages in a Model Shop and for giving facilities of bar, additional license fee fixed from time to time shall also be included thereto.
- (i) "Security amount" means a amount as fixed by the State Government according to the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.  
Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving certificate shall be acceptable till it is not refunded.
- (j) "State" means the State of Uttar Pradesh.
- (k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor and beer to the next multiple of 10 rupees, which shall be payable at Distillery/Brewery level and recoverable by distillery/brewery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price/Ex-Brewery price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
- (l) "Earnest money" means the amount equal to one-tenth of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-10 of these rules;
- (m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
- (n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;

**Column II***Rule as hereby substituted*

- (h) "License fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the license as body wise for exclusive privilege for selling of foreign liquor, beer, Wine and low alcoholic brewages in a Model Shop and for giving facilities of bar, additional license fee fixed from time to time shall also be included thereto.
- (i) "Security amount" means a amount as fixed by the State Government according to the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.  
Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving certificate shall be acceptable till it is not refunded.
- (j) "State" means the State of Uttar Pradesh.
- (k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor and beer to the next multiple of 10 rupees, which shall be payable at Distillery/Brewery level and recoverable by distillery/brewery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price/Ex-Brewery price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
- (l) "Earnest money" means the amount equal to one-tenth of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-10 of these rules;
- (m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
- (n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;

**Column I**

*Existing rule*

- (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
- (p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;
- (q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;
- (r) "consideration fee" means a fee for foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages.
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

- (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
- (p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;
- (q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;
- (r) "consideration fee" means a fee for foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages.
- (s) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Beer, Wine and low alcoholic beverages as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale.
- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-12-- In the said rules, for existing rule-12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

**Column I**

*Existing rule*

12. Lifting of liquor/beer
- (a) The licensee under these rules shall obtain sufficient supplies of all prevalent registered brands of foreign liquor/wine and beer/low alcoholic beverages from any wholesale licence (F.L.2/FL-2B) of the Districts & FL-2D of State after making full payment of cost price of Foreign Liquor and beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time.

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

12. Lifting of liquor/beer
- (a) The licensee under these rules shall obtain sufficient supplies of all prevalent registered brands of foreign liquor/wine/beer/low alcoholic beverages from any wholesale license (F.L.2/FL-2B) of the Districts after making full payment of cost price of Foreign Liquor and beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time. If the (F.L.2/FL-2B) license is not sanctioned in the

**Column I***Existing rule*

If the (F.L.2/ FL-2B ) license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine, beer and low alcoholic beverages from wholesale license (F.L.2/FL-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner. In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner and ensure supply within twenty four hours.

(b) “Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign Liquor and Beer to ensure steady and continuous quality supply as per the seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter, foreign liquor and beer separately, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor and beer lifted separately in the preceding year.”

**Column II***Rule as hereby substituted*

concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine, beer and low alcoholic beverages from wholesale license (F.L.2/FL-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner. In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner and ensure supply within twenty four hours.

(b) “Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB to ensure steady and continuous quality supply as per the seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter, Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB lifted in the preceding year.”

(c) (i) Provided, In case the licensee fails to lift liquor(Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB) at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld.

(ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of liquor equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.

(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.

(iv) In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.

**Column I**  
*Existing rule*

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .

- (d)(i) The licensee desiring to transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion(quota) on a quarterly basis, within an excise district.
- (ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.
- (iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected.
- (iv) A quota transfer fee as prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government, shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request.

Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.

4. **Amendment of Format F.L.-4 (A) and F.L-4(A)(1)**-- In the said rules, for existing Forms F.L.-4 (A) and F.L-4(A)(1) set out in Column-I below, the forms as setout in Column-II shall be substituted, namely-

**Column I***Existing rule*

F.L.--4(A)

**(FOR RENEWAL OF MODEL SHOP LICENCE)**

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in sealed Bottles for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises.

Photo of applicant	Photo of co applicant
--------------------	-----------------------

Photo of shop

Latitude/Longitude of shop.....  
 Licence No.....District.....  
 Name of shop.....Model.....  
 Shop.....  
 Locality.....  
 Licence fee Rs.....(in figures).....(in words)  
 Security amount Rs.....(in figures).....(in words)  
 Description of premises (without boundaries)  
 North.....South.....  
 East.....West.....  
 Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---  
 1.....s/o .....R/o.....  
 2.....s/o .....R/o.....  
 Name, Father's Name & Address of Salesmen-  
 1.....s/o .....R/o.....  
 2.....s/o .....R/o.....  
 3.....s/o .....R/o.....  
 4.....s/o .....R/o.....

**Column II***Rule as hereby substituted*

F.L.--4(A)

**(FOR RENEWAL OF MODEL SHOP LICENCE)**

License for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in sealed Bottles for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises.

Photo of applicant	Photo of co applicant
--------------------	-----------------------

Photo of shop

Latitude/Longitude of shop.....  
 License No.....District.....  
 Name of shop.....Model.....  
 Shop.....  
 Locality.....  
 License fee Rs.....(in figures).....(in words)  
 Security amount Rs.....(in figures).....(in words)  
 Description of premises (without boundaries)  
 North.....South.....  
 East.....West.....  
 Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---  
 1.....s/o .....R/o.....  
 2.....s/o .....R/o.....  
 Name, Father's Name & Address of Salesmen-  
 1.....s/o .....R/o.....  
 2.....s/o .....R/o.....  
 3.....s/o .....R/o.....  
 4.....s/o .....R/o.....

**Column I***Existing rule*

Model shop licence for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles/Cans/Tetrapack for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above licence holder(s) ....at.....(place) in P.S. ....Tehsil ..... in the District of .....w.e.f. ....to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee's liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. Supply of liquor imported from other countries may be obtained from wholesale licence F.L.2D of the Charge/ Zone or State.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price will be printed on the label of bottles/cans/tetra packs of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

**Column II***Rule as hereby substituted*

Model shop license for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles/Cans//Tetrapack for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above license holder(s) ....at.....(place) in P.S. ....Tehsil ..... in the District of .....w.e.f. ....to March 31, 20.....for which license fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee's liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB including overseas imported liquor from the wholesale licensee (F.L.2/ F.L.-2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.-2B license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of other district/ districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price will be printed on the label of bottles/cans/tetra packs of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/tetra packs as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.
6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/tetra packs of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (www.upexcise.in) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/ /Tetrapack as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.
6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/Tetrapack of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (www.upexcise.in) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.



**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than 6 liters of foreign liquor, Bottled In India (BII) and imported, each separately inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin and vodka; 3 litres of wine, bottled in India and imported, both separately; 7.8 litres of Beer, bottled in India and imported, each separately; 2 litres of other kind of Indian/imported liquor as well as 6 litres of LAB at a time, except under a permit.
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities
11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis.
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.
22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.
23. The licensee shall install firefighting instrument/ fire extinguisher in the licensed premises.

Date.....

District.....

Licensing Authority

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis.
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in **Model Shop** premises.
22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.
23. The licensee shall install firefighting instrument/ fire extinguisher in the licensed premises.

Date.....

District.....

Licensing Authority

**Column I**

*Existing rule*

F.L.-4(A)(1)

(FOR LICENCE OF NEW MODEL SHOP)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in sealed Bottles for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises.

Photo of applicant	Photo of Shop
--------------------	---------------

Photo of shop

Latitude/Longitude of shop.....  
Licence No.....District.....

Name of shop.....Model.....  
Shop.....  
Locality.....  
Licence fee Rs.....(in figures).....(in words)

Security amount  
Rs.....(in figures).....(in words)

Description of premises (without boundaries)

North.....South.....  
East.....West.....

Name, Father's Name & Address of Licensee--

1.....s/o .....R/o.....

Name, Father's Name & Address of Salesmen--

1.....s/o .....R/o.....  
2.....s/o .....R/o.....

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

F.L.-4(A)(1)

(FOR LICENCE OF NEW MODEL SHOP)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in sealed Bottles for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises.

Photo of applicant	Photo of Shop
--------------------	---------------

Photo of shop

Latitude/Longitude of shop.....  
Licence No.....District.....

Name of shop.....Model.....  
Shop.....  
Locality.....  
Licence fee Rs.....(in figures).....(in words)

Security amount  
Rs.....(in figures).....(in words)

Description of premises (without boundaries)

North.....South.....  
East.....West.....

Name, Father's Name & Address of Licensee--

1.....s/o .....R/o.....

Name, Father's Name & Address of Salesmen--

1.....s/o .....R/o.....  
2.....s/o .....R/o.....

**Column I***Existing rule*

Model shop licence for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles/Cans/Tetra packs for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above licence holder(s) .....at.....(place) in P.S. ....Tehsil ..... in the District of .....w.e.f. ....to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee's liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/ beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. Supply of liquor imported from other countries may be obtained from wholesale licence F.L.2D of the Charge/ Zone or State.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price will be printed on the label of bottles/cans/tetra packs of Foreign Liquor/ beer/ wine/Low Alcoholic Beverages. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

**Column II***Rule as hereby substituted*

Model shop licence for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles/Cans/ Tetra packs for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above licence holder(s) .....at.....(place) in P.S. ....Tehsil ..... in the District of .....w.e.f. ....to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee's liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB including overseas imported liquor from the wholesale licensee (F.L.2/ F.L.-2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/ beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of other district/ districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price will be printed on the label of bottles/cans/tetra packs of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

4. Sale at the licenced premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/tetra packs as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the Solid Waste Management Rules 2016.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.
6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/tetra packs of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (www.upexcise.in) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licenced premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale ) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/ Tetra packs as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.
6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/ Tetra packs of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (www.upexcise.in) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than 6 liters of foreign liquor, Bottled In India (BII) and imported, each separately inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin and vodka; 3 litres of wine, bottled in India and imported, both separately; 7.8 litres of Beer, bottled in India and imported, each separately; 2 litres of other kind of Indian/imported liquor as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under a permit.
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

17. The licence premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis.
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.
22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.
23. The licensee shall install firefighting instrument/fire extinguisher in the licensed premises.

Date.....  
District.....

Licensing Authority

**GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS**

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis.
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Model Shop premises.
22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.
23. The licensee shall install firefighting instrument/fire extinguisher in the licensed premises.

Date.....  
District.....

Licensing Authority

P. GURU PRASHAD,  
*Excise Commissioner,*  
*Uttar Pradesh.*